(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 31 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :— 2022 / 137

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

रामचरण पुत्र दयाचन्द जाति ऐरवाल निवासी शिव कॉलोनी, मनिहारा तालाब, बारां जिला बारॉं (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)

2— श्री चैन सिंह सिरोहिया (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 09.09.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रामचरण पुत्र दयाचन्द जाति ऐरवाल निवासी शिव कॉलोनी, मनिहारा तालाब, बारां जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारॉं ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारॉं क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(09) के तहत दर्ज हुए है जिनमें कुल 08 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 01 प्रकरण विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जाते हैं जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल के कुल 08 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा—3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 02.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(09) के तहत दर्ज हुए है जिनमें कुल 08 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 01 प्रकरण विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(09) के तहत दर्ज हुए है जिनमें कुल 08 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। गैरसायल को दिया गया नोटिस गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से काबिल निरस्तनीय है। गैरसायल के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज हुए है वह मात्र 13 आरपीजीओ एक्ट के है। कोई भी प्रकरण आईपीसी की धारा का दर्ज नहीं है। उक्त तथ्यों पर कोई ध्यान न देते हुए गैरसायल को जो नोटिस दिया गया है, वह गलत है। अतः निवेदन है कि गैरसायल के विरूद्ध जो गुण्डा एक्ट की कार्यवाही अमल में लायी गई है, उसे निरस्त फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2016 से वर्ष 2022 में कुल 09 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(09) के तहत दर्ज हुए है जिनमें कुल 08 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि रामचरण पुत्र दयाचन्द जाति ऐरवाल निवासी शिव कॉलोनी, मनिहारा [illegible], बारां [illegible] द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधि[illegible] क[illegible]ारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गै[illegible] की कुल 08 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल रामचरण पुत्र [illegible] जाति [illegible]वाल निवासी शिव कॉलोनी, मनिहारा तालाब, बारां जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, कोतवाली जिला बारॉं से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल रामचरण पुत्र दयाचन्द जाति ऐरवाल निवासी शिव कॉलोनी, मनिहारा तालाब, बारां जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारां क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, छीपाबड़ौद जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 25.09.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबड़ौद जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना छीपाबड़ौद जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **09.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:48:35 IST
Reason: SelfAttested